


दश

कार्यवाही विवरण

अनुपालना के  
क्रमांक एवं  
दिनांक

22-05-22

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता को बार-बार रूक-रूक कर न्यायालय समय तक आवाज लगवाई गई, परन्तु ना तो आवेदक उपस्थित ना ही वादी अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय हुये। इससे स्पष्ट होता है कि वादी को अपने वाद को चलाने की कोई रुचि नही है। फलवरुप वाद वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)  
नवलगढ

